नागरिक पंजीकरण प्रणाली के सम्बन्ध में जारी किये गये महत्वपूर्ण परिपत्र

द्वारा : शैलेन्द्र सिंह नेगी
उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नागरिक पंजीकरण प्रणाली के सम्बन्ध में जारी किये गये महत्वपूर्ण परिपत्र

जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य को सुगम बनाने हेतु महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा अभी तक कुल 41 परिपत्र/आदेश जारी किये गये हैं |

समस्त सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, परिपत्र दिनांक 28.10.2003

सभी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन्म और मृत्यु की होने वाली घटनाओं के तुरंत पंजीकरण व पंजीकरण के तुरंत बाद धारा 12 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण हेतु समस्त सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पंजीकरण केंद्र खोले जाये।

जिन सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पंजीकरण केंद्र खुल चुका है, उनमे पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्य रजिस्ट्रार की अनुमति उपरान्त उप रजिस्ट्रार की व्यवस्था की जा सकती है ।

गोद लिए गये बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने/परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना, परिपत्र दिनांक 12.03.2012

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र में जन्म सूचना प्रपत्र के पैटर्न पर नया जन्म सूचना प्रपत्र (1क) लागू करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में, यह नया प्रपत्र-(1क), संस्थान अथवा संस्था से अलग, दोनों के माध्यम से गोद लेने के लिए लागू है। बच्चे को गोद लेने में निम्न प्रकार की स्तिथियाँ हो सकती हैं।

(1) संस्थानों के माध्यम से बच्चे को गोद लेने की प्रक्रियाः-

(i) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम हो:

संस्थानों के माध्यम से गोद लिए गये बच्चे का यदि जन्म का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम हो तो

जारी......

गोद लिए गये बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने/परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना, परिपत्र दिनांक 12.03.2012

उस स्थिति में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है उसी स्थान को बच्चे का जन्म स्थान माना जायेगा और उसी स्थान पर पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार बच्चे का पंजीकरण किया जायेगा। बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति में सी0एम0ओ0 अथवा किसी लाईसेंसशुदा फिजिशियन द्वारा निर्धारित/ स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वार दत्तक आदेश/विलेख में दर्शायी गयी तिथि को जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा। जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा पता जैसा का कि दत्तक आदेश में अंकित हो दर्ज किया जायेगा तथा जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक का नाम भी दर्ज किया जाएगा।

जारी......

गोद लिए गये बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने/परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना, परिपत्र दिनांक 12.03.2012

(ii) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम नहीं हो:

जन्म का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम नहीं हो तो उस स्थिति में पंजीकरण की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार अपनाते हुए जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक के नाम से संबंधित कालम खाली रहेगा|

(iii) जन्म का रजिस्ट्रीकरण पूर्व में किया गया हो

उक्त स्थिति में रजिस्ट्रार जिसके क्षेत्राधिकार में एजेंसी स्थिति है, विधिवत भरा हुआ जन्म सूचना प्रपत्र दत्तक आदेश/विलेख सहित तथा मूल जन्म प्रमाणपत्र की प्रति उस रजिस्ट्रार को भेजेगा जहां जन्म का मूल रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया हो। उसके उपरांत मूल रजिस्ट्रार संशोधित जन्म प्रमाण पत्र अभिभावक को उपलब्ध करवायेगा|

जारी......

गोद लिए गये बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने/परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना, परिपत्र दिनांक 12.03.2012

(2) संस्थाओं से बाहर गोद लिए गए बच्चे का पंजीकरण

यदि संस्थाओं से बाहर बच्चों को संबंधियों/परिचितों द्वारा गोद लिया जाता है, तो इसमें भी पूर्व की भांति निम्न तीन स्तिथियाँ हो सकती हैं -

(i) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम हो

(ii) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम नहीं हो

(iii) जन्म का रजिस्ट्रीकरण पूर्व में किया गया हो

उपरोक्त स्तिथियों (i) व (ii) में पंजीकरण का कार्य, जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण किया जा रहा है, उसी स्थान को बच्चे का जन्म स्थान मानते हुए पूर्व की प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा|

स्तिथि (iii) में दत्तक अभिभावक उस रजिस्ट्रार से संपर्क करेंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में दत्तक आदेश जारी किया गया है | शेष कार्यवाही बिंदु (I) (iii) के अनुसार ही की जाएगी|

गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में मृत्यु के स्थान व तिथि का निर्धारण, परिपत्र दिनांक 26-09-2012

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से अधिक समय तक कोई जानकारी न मिली हो, ऐसे व्यक्ति को मृत माना जा सकता है। उपरोक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे मृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख व मृत्यु के स्थान के मामले में वह प्रारम्भिक तारीख जिस तारीख में वादी ने अदालत में वाद दायर किया हो, उस तारीख को मृत्यु की तारीख तथा जहाँ वाद दायर किया गया हो, उस स्थान को मृत्यु का स्थान माना जा सकता है। अस्पष्टता के मामले में न्यायालय से ही उपयुक्त स्पष्टिकरण प्राप्त किया जा सकता है।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (आरबीडी), 1969 की धारा 23 के अंतर्गत शास्तियां, परिपत्र दिनांक 21.02.2013

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (आरबीडी), 1969 की धारा 23 के अंतर्गत गैर-रिपोर्टिंग, झूठी रिपोर्टिंग या लापरवाही के लिए या पंजीकरण से इनकार करने के लिए दंड निर्धारित किया गया है। गैर-रिपोर्टिंग या देर से रिपोर्ट करने के लिए चिकित्सा संस्थानों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, जिला/मुख्य रजिस्ट्रार को ऐसे व्यक्ति/ संस्थान पर जुर्माने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जो बिना किसी उचित कारण के धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ तो है पर सूचना नहीं दे रहा है |

मृत्यु के कारण चिकित्सीय प्रमाणन (एम.सी.सी.डी.) योजना का सभी चिकित्सीय संस्थाओं का विस्तार करने के संबंध में परिपत्र दिनांक 28.08.2014 व दिनांक 09.03.2012

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन (एम.सी.सी.डी.) योजना एक ऐसी योजना है जो जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण (आर.बी.डी.) अधिनियम, 1969 के कानूनी दायरे के भीतर आती है और इसका उद्देश्य राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न आयु समूहों की मृत्यु के विशिष्ट कारण से संबंधित आंकड़े प्रदान करना है। अब तक यह योजना अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में स्थित बड़े अस्पतालों और चिकित्सीय कालेजों से जुड़े अस्पतालों तक ही सीमित है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इस योजना की व्याप्ति (कवरेज) भी समान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप कालावधि में विश्वसनीयता, प्रतिनिधित्वता और तुलनीयता के अभाववश इस योजना के अंतर्गत प्राप्त मृत्यु के विशिष्ट कारण संबंधी आंकडों में कमियां आती है। जारी......

मृत्यु के कारण चिकित्सीय प्रमाणन (एम.सी.सी.डी.) योजना का सभी चिकित्सीय संस्थाओं का विस्तार करने के संबंध मेंपरिपत्र दिनांक **28.08.2014** व दिनांक 09.03.2012

वर्तमान में रजिस्टर की गयी कुल मृत्यु की तुलना में चिकित्सीय तौर पर प्रमाणित मृत्यु का कवरेज 20.2 प्रतिशत है और कुल अनुमानित मृत्यु की तुलना में यह केवल 14.3 प्रतिशत है। इस योजना के उपर्युक्त पहलुओं में सुधार लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के दायरे का देश की सभी चिकित्सीय संस्थाओं- अर्थात् सरकारी, निजी एवं धर्मार्थ अस्पतालों, लाभ निरपेक्ष संस्थाओं इत्यादि तक विस्तार किया जाए।

जन्म/मृत्यु व मृतजन्म रिपोर्टिंग फॉर्म में आधार नं0 के कॉलम को शामिल करना, परिपत्र दिनांक 07.11.2014

उपरोक्त परिपत्र के अनुसार रजिस्ट्रेशन को यूनिक बनाने तथा सीआरएस व आधार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, रिपोर्टिंग फॉर्म में, जन्म और मृत जन्म के मामले में माता-पिता की तथा मृत्यु के मामलों में मृतक के माता-पिता की और मृतक के विवाहित होने की स्थिति में मृतक के पति/पत्नी की आधार संख्या को दर्ज कराया जाना आवश्यक है। आधार संख्या का उपयोग सीआरएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक परिवार में होने वाली जन्म और मृत्यु की घटनाओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में आधार/यूआईडी संख्याको पूर्ण रूप से प्रदर्शित न करना, परिपत्र दिनांक 03.05.2017

उक्त परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि रिपोर्टिंग फार्म में आधार संख्या केवल व्यक्ति की पहचान के लिए दर्ज किया जाना आवश्यक है, परन्तु व्यक्ति की निजता प्रभावित न हो, इसके लिए सीआरएस ऑनलाइन जन्म/मृत्यु पोर्टल यानी www.crsorgi.gov.in के माध्यम से सृजित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में आधार/यूआईडी नंबर पूर्ण रूप से प्रदर्शित न करके उसके केवल अंतिम चार अंक ही प्रदर्शित किये जायेंगे।

जन्म रिकार्ड में बच्चे के नाम व जन्म तिथि में शुद्धि करने के संबंध में, परिपत्र दिनांक 30.06.2015

सामान्यतः प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है,परन्तु ऐसी स्थिति पाई गयी है की कभी-कभी अस्पताल की लापरवाही, सूचनादाता द्वारा दी गयी गलत जानकारी या रजिस्ट्रार द्वारा त्रुटी से गलत नाम अंकित हो जाता है | इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जा सकता है तथा यदि रजिस्ट्रार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रमाणिकता से संतुष्ट हो जाता/जाती है, तो वह नाम में परिवर्तन करते हुए उर्फ शब्द का प्रयोग कर नये नाम को अंकित कर सकता/सकती है | यदि आवेदक को उर्फ स्वीकार्य न हो तो नाम में आवश्यक पर्वितन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावजो की प्रमाणिकता के आधार पर रजिस्ट्रार की संतुष्टि पर किया जा सकता है |

जारी......

जन्म रिकार्ड में बच्चे के नाम व जन्म तिथि में शुद्धि करने के संबंध में, परिपत्र दिनांक 30.06.2015

साथ ही रजिस्ट्रार द्वारा नाम में परिवर्तन करने के पश्चात,जन्म रजिस्टर के टिप्पणी वाले कॉलम में शुद्धि की तिथि व दोनों नामों का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है।

जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु के तथ्य का निर्णायक साक्ष्य है। अतः जन्मतिथि में शुद्धि की अनुमति नहीं है, जब तक कि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि जन्म तिथि में घटना की रिपोर्टिंग कपटपूर्ण की गयी है।

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार जन्म रिकार्ड में नाम दर्ज करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ, परिपत्र दिनांक 29.12.14

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार यदि जन्म का रजिस्ट्रेशन बिना नाम के हुआ है तो नाम की प्रविष्टि उक्त तारीख से 12 महीने के अन्दर मौखिक या लिखित रूप से सूचना देने पर निःशुल्क हो सकती है|

साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय यह ध्यान रखना चाहिए की यदि उस समय नवजात का नाम तय नही हुआ है, तो जन्म के समय प्यार से बोले जाने वाले नाम जैसे मुन्ना, मुन्नी, इत्यादि नही लिखा जाना चाहिए, बल्कि नाम कॉलम को खाली छोड़ देना चाहिए |

जारी......

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार जन्म रिकार्ड में नाम दर्ज करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ, परिपत्र दिनांक 29.12.14

राज्य नियमों के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार, जन्म रजिस्टर में बारह माह के बाद परन्तु 15 वर्ष के अन्दर माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा सूचना दिए जाने एवं विहित फीस का भुगतान करने पर नाम की प्रविष्टि कर सकता है। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में राज्य उत्तराखंड में जन्म मृत्यु नियमावली जारी करने से पूर्व अर्थात वर्ष 2003 से पूर्व जारी किये गये जन्म प्रमाण पत्रों में नाम की प्रविष्टि उक्त शर्तों के साथ वर्ष 2023 तक कराई जा सकती है।

अनाथ/परित्यक्त बच्चों के जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना, परिपत्रदिनांक 03.07.2015

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 8 के अंतर्गत अनाथालय अथवा इसी प्रकार के संस्थान के बच्चों के मामले में संबंधित संस्थान के प्रभारी अथवा केयरटेकर और ऐसे संस्थान से बाहर के बच्चों के मामलें में अभिभावक, संबंधित रजिस्ट्रार, को जन्म की घटना की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। किन्ही मामलों में हो सकता है कि जन्म सम्बंधी विवरणों, जैसे-जन्म स्थान, जन्म तिथि, माता-पिता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो तो इस स्थिति में जन्म के स्थान में जहाँ अनाथालय स्थित हो उसी शहर/ग्राम का नाम दर्ज किया जायेगा, जन्म तिथि के बारे में जानकारी न होने पर उस क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जहाँ अनाथालय स्थित है, बच्चे की संभावित आयु का निर्धारण करेंगे तथा माता पिता के नाम की जानकारी न होने की स्थिति में माता-पिता के नाम का कॉलम खाली छोड़ दिया जायेगा।

एकल माता-पिता/अविवाहित माता के मामले में बच्चे के जन्म के पंजीकरण के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, परिपत्र दिनांक 21.07.2015

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि "यदि एक माता-पिता/अविवाहित मां अपने गर्भ से पैदा हुए बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करती हैं, तो संबंधित प्राधिकारियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व इस आशय का हलफनामा प्राप्त करने की आवश्यकता है कि "वे एकल माता-पिता/अविवाहित माता है तथा इसके विपरीत अदालत का कोई निर्देश नहीं है"। ऐसी स्तिथि में सिंगल पैरेंट का नाम जन्म रिकॉर्ड में लिखा जाएगा और दूसरे माता-पिता का नाम खाली रहेगा। ऐसे मामलों के पंजीकरण के लिए, माननीय अदालत द्वारा सुझाए गए अपेक्षित दस्तावेज को स्थायी रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए।

सीआरएस एप्लिकेशन के माध्यम से जारी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों की स्वीकृति के संबंध में, परिपत्र दिनांक 27.07.2015

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय, नई दिल्ली ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एकरूप सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इस एप्लिकेशन द्वारा घटना को विशिष्ट पंजीकरण संख्या देते हुए प्रमाण पत्र जारी किये जाते है, साथ ही इन प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता जांचने के लिए QR Code अंकित किये गये है| इस प्रकार जारी प्रमाण पत्र क़ानूनी रूप से वैध दस्तावेज है, जिनका उपयोग सरकारी और गैर सरकारी योजनाओ में किया जा सकता है| जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सी आर एस पोर्टल से बनाने के लिए रजिस्ट्रारों द्वारा अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर पंजीकृत किया जाता है तत्पश्चात रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बाद इलैक्ट्रानिक रूप से प्रमाण-पत्र तैयार किये जाते हैं, इन प्रमाण पत्रों पर जारी करने वाले प्राधिकारी के हाथ का हस्ताक्षर अथवा डिजिटल अथवा फैसिमाइल हस्ताक्षर प्रदर्शित होते हैं।

लोक सेवक की नियुक्ति रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति, परिपत्र दिनांक 31.07.2015

जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 की धारा 26 के प्रावधानो में उल्लेख किया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अर्थ में रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार लोक सेवक माने गए है अर्थात केवल लोक सेवक ही रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के रूप नियुक्त किया जा सकता है,निजी अस्पताल या नर्सिंग होम का कोई कर्मचारी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है।

चिकित्सा संस्थानों द्वारा जारी किये जा रहे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध मे स्पष्टिकरण, परिपत्र दिनांक 01.12.2015

आमतौर पर देखा जाता है कि कई चिकित्सा संस्थान विशेषरूप से निजी संस्थान अपने संस्थान में हुई जन्म-मृत्यु की सूचना क्षेत्र से सम्बंधित रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को नहीं देते हैं बल्कि अपने संस्थान से ही एक अनौपचारिक प्रमाण पत्र संबंधित परिवार को जारी किया जाता है, जो कानूनी प्रमाण पत्र नहीं है। इस कारण जनता को निर्धारित समय सीमा में रजिस्ट्रार द्वारा आरबीडी अधिनियम के तहत जारी किया गया जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें कुछ वर्षों के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि चिकित्सा संस्थान विशेषरूप से निजी संस्थान को निर्देशित किया जाये कि वे अपने संस्थान में हुई जन्म-मृत्यु की सूचना सम्बंधित रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को ससमय दे ।

गोद लिए गये बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में जन्म के स्थान का उल्लेख, परिपत्र दिनांक 24.02.2016

ऐसा पाया गया है कि अधिकांश मामलों में गोद लिए गये बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में जन्म के स्थान के रूप में संस्था का नाम अंकित कर दिया जाता है जो कि गोद लेने के रिकार्ड के संबंध में बनाए जाने वाली गोपनीयता का उल्लंघन है। उक्त के संबंध में उक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है, उस स्थान को ही बच्चे के जन्म स्थान के रूप में लिखा जाएगा।

मतदाता सूची से मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के संदर्भ में, परिपत्र दिनांक (12.06.2018)

निर्वाचक पंजीकरण नियमावली 1960 के नियम 9 के तहत सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि सभी रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करें कि मृत्यु रजिस्टर से मृत मतदाताओं से संबंधित जानकारी संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को वर्ष में कम से कम दो बार प्रेषित की जाए।

राज्य उत्तराखण्ड के प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र में लापता व्यक्तियों की मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण संबधी प्रक्रिया, परिपत्र दिनांक 16.08.2013 तथा 21.02.2021

उत्तराखण्ड के प्राकृतिक आपदा में लापता व्यक्तियोंके प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में एक मानक प्रक्रिया तैयार की गयी है, जिसके द्वारा लापता व्यक्तियों को निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः-

- आपदा प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीण/आसपास के गावों के ग्रामीण जो आपदा के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे।
- उत्तराखण्ड के अन्य जिलों के निवासी जो आपदा के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे।

जारी......

राज्य उत्तराखण्ड के प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र में लापता व्यक्तियों की मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण संबधी प्रक्रिया, परिपत्र दिनांक 16.08.2013 तथा 21.02.2021

जारी......

- अन्य राज्यों के पर्यटक/लोग जो आपदा के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे।

पूर्ण विस्तृत प्रक्रिया दिशा निर्देशों में निर्धारित की गयी है, जिसके द्वारा लापता और मृत मान लिए गये व्यक्ति के सगे सम्बन्धी द्वारा FIR दर्ज की जानी चाहिए, जिसकी जाँच पड़ताल सम्बंधित पुलिस थाने द्वारा की जाएगी | जाँच पड़ताल के उपरान्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अधिकारी द्वारा दावे व आपत्ति प्राप्त करने के उपरान्त मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने अथवा इसे अस्वीकार करने के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी |

जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के संबंध में सलाह, परिपत्र दिनांक 28.07.2021

कुछ राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए CRS पोर्टल/लॉगिन पर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप संबंधित पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा कुछ मामलों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।ऑनलाइन पोर्टल यूजर/लॉगिन आईडी के दुरुपयोग से बचने के लिए सक्रिय उपयोगकर्ताओं (राज्य/जिला/पंजीकरण इकाइयों/अस्पतालों आदि) के विवरण की जांच सत्यापन और हर महीने डेटाबेस को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए व यदि कोई उपयोगकर्ता निष्क्रिय पाया जाता है (यानी वर्तमान में पोर्टल/सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहा है जबकि उपयोगकर्ता/लॉगिन आईडी बनायी गई थी), तो इसे संबंधित पोर्टल/सॉफ्टवेयर के डाटाबेस से तुरंत हटाया जा सकताहै । यह भी अनुरोध किया जाता है कि सभी उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड साझा न करने, समय-समय पर पासवर्ड बदलने और पोर्टल पर पहचान को अद्यतन करने के लिए निर्देश जारी करें।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चिकित्सीय प्रमाण पत्र (फार्म 4/4क) में मृतक के सम्बन्धी को मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में, परिपत्र दिनांक 10.11.2021

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 04.10.2021 व भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.10.2021 के क्रम में जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है मृत्यु के कारणों का विवरण प्रपत्र-4/4क में स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए मृतक के परिजन को प्रपत्र-4/4क आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दिया जाये|

धन्यवाद